निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 31/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एफ–2, जगदम्बा कालोनी, नया बेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

प्रोलिफिक प्रोपबिल्ड एल.एल.पी. जरिये डायरेक्टर पंजीकृत कार्यालय शॉप नं॰ 30, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर विकास सूर्या शोपिंग प्लाट नम्बर 18, मंगल पैलेस सैक्टर–3, रोहिणी दिल्ली।

मनोज अग्रवाल मोदी पुत्र श्री केशव देव अग्रवाल जाति महाजन निवासी म॰ नं॰ बी–49, लाल कोठी स्कीम, जयपुर ।

केशव देव अग्रवाल पुत्र स्व॰ श्री कपिल देव जाति महाजन निवासी म॰ नं॰ बी–49, लाल कोठी स्कीम, जयपुर ।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण ब उनवानी राधेश्याम शर्मा बनाम प्रोलिफिक प्रोपबिल्ड व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

स्थितः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सर्वेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16.07.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष प्रकरण ब उनवानी राधेश्याम शर्मा बनाम प्रोलिफिक प्रोपब्लिड व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सर्वेश जैन ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में तामील होने के पश्चात प्रतिवादी द्वारा धारा 7 नियम 11 सी पी सी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया गया था जिसका जबाब भी प्रार्थी–वादी द्वारा दिया गया था तथा उस पर बहस कर दी । बहस करने के पश्चात भी डेढ से दो माह के बाद आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रभाव में आकर लिंगरओन किया जा रहा है। बार बार निवेदन करने पर भी उपरोक्त उनवानी प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि टालमटोल करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादी ने प्राथी–वादी को धमकी दी है कि वह वादी का उक्त वाद साम, दाम दण्ड, भेद से खारिज करा कर ही मानेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादी न्यायालय को गुमराह कर तथा अपने प्रभाव का उपयोग कर अवैद्यानिक रूप से कार्यवाही करना चाहता है जबकि प्रार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है तथा 90 वर्ष के लगभग की आयु का वृद्व व्यक्ति है जिसे न्याय मिलने की आशा नहीं रही है।जिससे उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना परम आवश्यक है। ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है, इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 **RRD 501,** राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 **RRD-18** एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 **RRD (NSU) 61** में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner